कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारीः भॅंवरलाल मेहरा, आई.ए.एस.

सूचना का अधिकार अपील संख्या 01 / 2024

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
गोविन्द करण राठौड पुत्र धनकरण राठौड, निवासी— 79, हनुवन्त बी—सेक्टर, बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर		लोक सूचना अधिकारी अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर), कार्यालय हाजा

निर्णय

दिनांक 13 मार्च, 2024

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति. संभागीय आयुक्त, जोधपुर) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 11.01.2024 को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर उनकी ओर से कार्यालय हाजा के समक्ष दिनांक 25.10.2023 को प्रस्तुत पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई।

2. अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना उन्हें उपलब्ध नहीं होने का कथन कर सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम सूचना अपील प्रेषित अपील 22.02.2024 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा से अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी ली गई एवं अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया।

3. अपीलान्ट उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा के द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.03.2024 के द्वारा उक्त अपील के सम्बन्ध में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की दर्ज पत्रावली एवं टिप्पणी प्रेषित की गई जिसका अवलोकन किया जिसमें यह अवगत कराया गया कि प्रार्थी / अपीलान्ट के आवेदन अनुसार उनके

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की कार्यालय हाजा की ओर से की गई कार्यवाही सम्बन्धी सूचना तैयार की जाकर प्रतिलिपी शुल्क जमा करवाने हेतु प्रार्थी को पत्र कमांक 07 दिनांक 16.01.2024 जारी किया गया। परन्तु प्रार्थी/आवेदक के द्वारा निर्धारित समयावधि में आज दिनांक तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाया गया है अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

01. हमने अपीलान्ट की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा वांछित सूचना तैयार कर दिये जाने के उपरान्त प्रार्थी को वांछित प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाने हेतु पत्र जारी किया जाना रेकर्ड से प्रकट होता है परन्तु उक्त पत्र प्रार्थी को प्राप्त हो जाने सम्बन्धी साक्ष्य पत्रावली में मौजूद नहीं है। ऐसे में उक्त अपील को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित तैयार सूचना प्रार्थी को जरिये पंजीकृत पत्र के द्वारा निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद निर्णय हो नम्बर से कम की जावे तथा आदेश की प्रति अपीलान्ट एवं लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा को प्रेषित की जावें।

(भँवरलाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर